पत्र संख्या- भवन क्रय/निर्माण अग्रिम/26-27/ 211 // राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश

(बजट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनॉक 05 अगस्त 2026

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,

राज्य कर उत्तर प्रदेश ।

शासन के पत्र संख्या-बी-3-223/दस-2026/ दिनॉक 19-06-2026 द्वारा भवन क्रय/ निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, जिसे विभागीय अधिकारियों /कर्मचारियों को वितरित किया जाना है ।

जिन विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को भवन क्रय/ निर्माण अग्रिम की आवश्यकता है उनका प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप(संलग्न) में अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी को **दिनॉक 27-08-2026** तक उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें, ताकि प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकें, उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर चालू वित्तीय वर्ष में विचार करना संभव नही हो सकेगा ।

उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा जिन अधिकारियों /कर्मचारियों को पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में अग्रिम की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है एवं द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिए उक्त तिथि तक शासन के पक्ष में भूमि का बंधक कराकर बंधक पत्र उपलब्ध कर दें जिस पर सम्यक् विचार किया जा सकें ।

ह0/

(अशोक कुमार सिंह)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर ,

उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त ।

1- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1/ग्रेड-2 राज्य कर उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्य0) राज्य कर उत्तर प्रदेश ।

3- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को वेवसाइट पर अपलोड करने के लिए।

1451

श्रीमती पूर्णिमा ...... आवश्यक कार्यवाही करें।

उपायुक्त (आई0टी0) राज्य कर,

दिनांक 05-08-26

Digitally signed by
ASHOK KUMAR SINGH
Date: 05-08-2026
14:01:45

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर ,

उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

:: गृह निर्माण/मरम्मत अग्रिम के लिए प्रार्थना-पत्र ::

1- नाम...

2- पिता/पति का नाम...

3- घर का स्थायी पता...

4- स्थाई पद अथवा मौलिक नियुक्ति...

(क) मूल वेतन...

(ख) स्थानापन्न वेतन...

(ग) विशेष वेतन...

(घ) ब्यौरे सहित भत्ते...

5- अपेक्षित अग्रिम की धनराशि...

(क) भूमि खरीदने के लिए...

(ख) मकान खरीदने के लिए...

(ग) मकान और संलग्न भूमि खरीदने के लिए...

(घ) खरीदे जाने वाले मकान की मरम्मत के लिए...

(ङ) मकान फिर से बनवाने के लिए...

(च) पिछली बार अग्रिम की धनराशि से बनाये गये या खरीदे गये मकान की मरम्मत/विस्तार के लिए...

6- खरीदे जाने वाले प्लाट/मकान का पूर्ण विवरण और सही स्थान...

7- यह सिद्ध करने के लिए आपके पास क्या विवरण प्रमाण-पत्र है। उक्त भूमि या मकान पर आपने निर्विवाद स्वामित्वाधिकार प्राप्त कर लिया है या कर लेंगे और उसे सरकार के पास बन्धक रखने में कोई बाधा न पड़गी।

8- अग्रिम की धनराशि किन-किन किश्तों में चाहिए और प्रत्येक किश्त को कब तक पूर्णरूप से उपभोग कर लिए जाने की सम्भावना है।

9- मकान के निर्माण क्रय/मरम्मत के बाद उसमें कौन रहेगा...

10- किसी ऐसे अन्य मकान का विवरण दीजिए जिसमें आप स्वामी या हिस्सेदार हों। उक्त मकान में अपने अंश का मूल्य भी बतायें।

11- यदि कोई मकान बनवाने, खरीदने या उसकी मरम्मत इत्यादि कराने के लिए आपने इन नियमों के अधीन कोई अन्य अग्रिम धनराशि ली हो तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए।

12- किसी मकान को खरीदने, बनवाने मरम्मत करने या उसे फिर से बनवाने के लिए भविष्य निधि से लिए गए स्थाई प्रत्याहरण (फाइनल विड्राल) का पूरा पूरा विवरण दीजिए।

अंकित करें ।

(16) यदि उन्होंने इन नियमों के अधीन किसी अग्रिम के लिए आवेदन पत्र दिया हो और/या अग्रिम लिया गया हो तो निम्नलिखित विवरण दें ।

(क) आवेदन पत्र देने की तिथि ....

(ख) लिये गये अग्रिम का प्रयोजन.........

(ग) अग्रिम से खरीदे गये/बनाये गये /मरम्मत कराये गये भवन का विवरण :- जिसमें स्थान का उल्लेख अवश्य करें ।.........

17- क्या आपने या उसकी पत्नी या उसके पति ने अपनी ओर से किसी आवश्यक बच्चे की ओर से किसी अन्य स्त्रोत/संस्था से गृह निर्माण अग्रिम/ऋण हेतु प्रार्थना पत्र दिया है या कोई ऋण/अग्रिम प्राप्त किया यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए ।

घोषणा-पत्र

1. मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर बताई गई विभिन्न मदों के उत्तर में मैंने जो सूचना दी है, वह जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है सही है।

2. मैंने मकान बनवाने आदि के लिए राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिम को विनियमित करने वाले नियमों को पढ़ लिया है और उसमें दी गयी शर्तों को मानने के लिए सहमत हूँ।

3. जिस मकान के निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, बनवाना अभी प्रारम्भ नहीं किया है।

4. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी पत्नी/पति/आवश्यक बच्चे उस नगर/नगर टाउन/अरबन एग्लोमरेशन) में जहाँ सरकार से अग्रिम लेकर मकान बनाया जाता अथवा अर्जित किया जाना प्रस्तावित है, पहले से कोई मकान नहीं है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर.........

पदनाम.........

विभाग/कार्यालय.

जिसमें वह नियुक्त हो.........

....

1. निकटतम उच्च अधिकारी की सिफारिश ।
2. क्रम संख्या- 1 से 4 व 13 तथा 14 अभिलेखों से प्रमाणित -
3. संस्तुति करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम-मुहर सहित -

नोट:- जो लागू न हो उन्हें काट दीजिए ।